

जैन धर्म का मूल विस्तार यह है कि वह प्रत्येक आत्माओं को परमात्मा बनाने की क्षमता को बताता है।
The fundamental of jainism is that it explains every soul's capability to become god.
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज

दैनिक विश्व परिवार

● अंक : 237 ● वर्ष : 13 ● रायपुर, गुरुवार 19 फरवरी 2026 ● पृष्ठ : 12 ● मूल्य : 3 रूपए ● संस्थापक : कीर्तिशेष- श्री कैलाश चन्द्र जैन

भूटान के प्रधानमंत्री दाशो ख्लेरिंग से पीएम मोदी की मुलाकात भारत-भूटान साझेदारी को और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान के अपने समकक्ष दाशो ख्लेरिंग से द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक में सम्मान आधारित भारत-भूटान संबंधों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने ऊर्जा, कनेक्टिविटी, विकास साझेदारी और पीपुल-टू-पीपुल संपर्क में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जन-केंद्रित और समावेशी एआई उपयोग पर जोर देते हुए एआई तथा डिजिटल टेक स्पेस में सहयोग को और तेज करने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने भरोसे, सद्भाव और आपसी सम्मान पर आधारित भारत-भूटान साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद दाशो



ख्लेरिंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर प्रसन्नता जताई और ग्लोबल साउथ में एआई समिट आयोजित करने के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने भूटान के राजा, सरकार और जनता की ओर से शुभकामनाएं भी प्रेषित कीं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिनभर में कई अहम नेताओं से मुलाकात की। उनकी पहली बैठक पेद्रो सांचेज के साथ हुई, जिसमें भारत-स्पेन

सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने पेटेरी ओर्पो, अलेक्जेंडर बुचिच, आंद्रेज प्लेकोविच, अलार कारिस और ओल्जास बेक्टेनोव से भी द्विपक्षीय बातों की। सोमवार से शुरू हुआ इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 समावेशी विकास, मजबूत सार्वजनिक व्यवस्था और सतत प्रगति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर केंद्रित है।

चैतन्य महाप्रभु की भक्ति परंपरा पर अमित शाह का जोर

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि वह मायापुर में स्थित इंटरनेशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्सर्नेस मंदिर के धार्मिक कार्यक्रम में अपनी आधिकारिक हैसियत से नहीं, बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी के रूप में शामिल हुए। 19वीं सदी के वैष्णव पुनरुत्थानवादी और गोड़ीय मठ के संस्थापक भक्तिसिद्धांत सरस्वती के 152वें पवित्र अवतरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने किसी भी राजनीतिक टिप्पणी से परहेज किया और कार्यक्रम के आध्यात्मिक महत्व तथा चैतन्य महाप्रभु की भक्ति परंपरा पर जोर दिया। गृह मंत्री ने बताया कि उन्होंने समारोह में शामिल भक्तों



कृष्णा कॉन्सर्नेस मंदिर के धार्मिक कार्यक्रम में हुए शामिल

को नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं को 'हरे कृष्ण' का संदेश भेजा और इस पावन अवसर पर अपनी शुभेच्छाएं प्रेषित कीं। अमित शाह ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम में भारत के गृह मंत्री के रूप में संबोधित किया गया, लेकिन वह वहां उस रूप में नहीं, बल्कि चैतन्य महाप्रभु के एक विनम्र भक्त के तौर पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक चेतना का संदेश समाज आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। जनगणना प्रशासन की विश्वसनीयता और शासन की पारदर्शिता की परीक्षा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि

जनगणना-2027 राष्ट्र निर्माण की आधारशिला : मुख्यमंत्री साय

■ छत्तीसगढ़ राज्य व संभाग स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित

रायपुर (विश्व परिवार)। भारत की जनगणना-2027 के सफल संचालन के लिए आयोजित राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने प्रदेश के सभी संभागयुक्त, कलेक्टरों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व को पूरी गंभीरता, सटीकता और संवेदनशीलता के साथ निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। जनगणना प्रशासन की विश्वसनीयता और शासन की पारदर्शिता की परीक्षा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि



आंकड़े अधूरे या त्रुटिपूर्ण होंगे तो विकास योजनाओं का लक्ष्य प्रभावित होगा। एक भी व्यक्ति या परिवार छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे विकास की प्रक्रिया अधूरी रह सकती है। उन्होंने बताया कि जनगणना-2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी होगी। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक संचालित किया

जाएगा। यह कार्य प्रदेश के 33 जिलों, 252 तहसीलों और 19,978 गांवों में संपन्न किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-गणना की सुविधा से जनभागीदारी बढ़ेगी और जनता का विश्वास ही जनगणना की सफलता का आधार है। यह कार्य विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत-2047 की नींव रखने वाला सिद्ध होगा। प्रशिक्षण सम्मेलन में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें तथ्यों का व्यवस्थित एवं प्रमाणिक संकलन किया जाता है।

पीएम जनमन के अमल में छत्तीसगढ़ देश में अखिल 7160 अत्यंत पिछड़े जनजाति घरों को ग्रिड से बिजली देने का लक्ष्य पूर्ण

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करते हुए देश में प्रथम स्थान अर्जित किया है। इस योजना के तहत विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के 7160 घरों में ग्रिड से बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा प्रदेश के ऊर्जा सचिव डॉ. रोहित यादव ने हितग्राहियों तथा कंपनी कर्मियों को बधाई प्रेषित की है।



शुरूआत की गई थी जिसे पीएम जनमन के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ की सात विशेष पिछड़ी जनजातियों, अबुझमाड़ियों, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरबा, कमार, अगरिया तथा बिरहोर जनजातियों के आवासों का सर्वेक्षण किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 7160 ऐसे आवासों को

विन्हांकित किया गया जहां ग्रिड से बिजली नहीं पहुंची थी। इन घरों को बिजली कनेक्शन देने के लिए 37 करोड़ रुपये की लागत से अधोसंरचना का विकास किया गया जिसके अंतर्गत टॉवर, लाइन, फीडर, ट्रांसफार्मर आदि की स्थापना की गई और इन्हें क्रियाशील किया गया। इस तरह छत्तीसगढ़, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए भी तैयार करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक का उपयोग भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मूल भावना और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए,

शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाने में एआई की भूमिका अहम: बृजमोहन अग्रवाल

नई दिल्ली। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल बुधवार को नई दिल्ली में शिक्षा में एआई का परिचय विषय पर आयोजित शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए।



बैठक में श्री अग्रवाल ने शिक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समावेश को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि एआई न केवल शिक्षण पद्धतियों को आधुनिक बनाएगा, बल्कि छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक का उपयोग भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मूल भावना और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए,

ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सके। बैठक के दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका के वाइस डीन डॉ. विशाल मिश्रा ने शिक्षा के क्षेत्र में एआई के बढ़ते प्रभाव, इसके व्यावहारिक उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार एआई व्यक्तिगत

शिक्षण, मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षकों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारत जैसे युवा देश के लिए एआई आधारित शिक्षा नवाचार का माध्यम बन सकती है, बशर्ते इसे समावेशी, नैतिक और छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए।

रतनपुर में केंद्रीय सहायता प्राप्त डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट को स्वीकृति: तोखन साहू

नई दिल्ली। श्री तोखन साहू, आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री, ने आज घोषणा की कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय रतनपुर, छत्तीसगढ़ में एक अग्रणी डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे रहा है।



प्रधानमंत्री आवास योजना-इंशुरी 2.0 के अंतर्गत विकसित यह परियोजना भारत के आवास क्षेत्र में 'हरित एवं उभरती प्रौद्योगिकियों' को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें छत्तीसगढ़ इनके क्रियान्वयन का प्रमुख प्रदर्शन केंद्र बनेगा। यह परियोजना 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण के साथ लागू की जाएगी, जिसमें पूर्ण केंद्रीय

सहायता तथा लगभग 210 करोड़ का अनुमानित निवेश होगा। परियोजना के अंतर्गत अभिनव, आपदा-रोधी एवं टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए अधिकतम 40 उच्च-गुणवत्ता वाले आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। पारंपरिक स्वामित्व मॉडल के विपरीत, ये इकाइयाँ सामाजिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित होंगी तथा सामुदायिक उपयोग और सिद्ध शक्ति पीठ माता महामाया के पवित्र दर्शन हेतु राज्य एवं देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं/तीर्थयात्रियों के लिए उपयोग में लाई जाएंगी।

छत्तीसगढ़ की दो राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही राज्यसभा की दो सीटें खाली हो जाएंगी। इसे लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी है। 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। 5 मार्च तक कैंडिडेट नामांकन भर पाएंगे। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 मार्च तक कैंडिडेट नामांकन वापस ले सकते हैं। 16 मार्च को वोटिंग होगी। सुबह 9 से शाम 4



बजे तक मतदान होगा। इसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी। 20 मार्च तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। केटीएस तुलसी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वह वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। संसद में संवैधानिक और कानूनी मामलों पर उनकी सक्रिय भूमिका रही है।

आईएनएस सुमेधा से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का निरीक्षण

विशाखापत्तनम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का अवलोकन किया। स्वदेश में निर्मित ऑफ़शोर पेट्रोल वेसल आईएनएस सुमेधा से किए गए इस निरीक्षण में 70 से अधिक देशों की नौसेनाओं की भागीदारी रही।



राष्ट्रपति ने कहा कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू समुद्री परंपराओं के प्रति राष्ट्रों की एकता, विश्वास और सम्मान को दर्शाती है। उन्होंने जोर दिया कि विभिन्न ध्वजों वाले जहाजों और नाविकों की उपस्थिति इस

आयोजन की थीम 'यूनाइटेड थ्रु ओशन' को साकार करती है और वैश्विक सहयोग का सकारात्मक संदेश देती है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा

कि समुद्री क्षेत्र सहित अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रति भारत का दृष्टिकोण 'वसुधैव कुटुंबकम्' के आदर्शों से प्रेरित है।

लखपति दीदी लक्ष्य के लिए 10 करोड़ महिलाओं को वित्तीय योजनाओं से जोड़ने की तैयारी: शिवराज सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में ग्रामीण विकास मंत्रालय अंत्योदय योजना-इंशुरीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने योजना की अद्यतन प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और 'लखपति दीदी' के 6 करोड़ लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेष रणनीति बनाकर युद्धस्तर

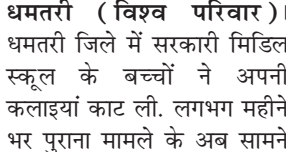


पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 10 करोड़ दीदियों को विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं से जोड़ना आवश्यक है। चौहान ने अधिकारियों को राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर लक्ष्य पूर्ति के लिए ठोस

कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं है या आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है, उन्हें मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया जाए ताकि योजना के उद्देश्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय मंत्री ने मिशन के तहत आवंटित बजट के प्रभावी उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदियों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सतत संवाद और समन्वय आवश्यक है।

धमतरी जिले में सरकारी मिडिल स्कूल के बच्चों ने अपनी कलाइयां काट लीं। लगभग महीने भर पुराना मामले के अब सामने आने से प्रशासन में हड़कण मच गया। तुरंत-फ़ूरत प्रशासन-पुलिस की संयुक्त टीम ने मामले की जांच करने के साथ बच्चों की मनोचिकित्सक से काउंसिलिंग भी कराई गई है। इसके साथ ही सभी स्कूलों को ऐसी घटनाओं को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पूरा मामला धमतरी जिले के कुरुद ब्लाक के अंतर्गत सासकौय पूर्व माध्यमिक शाला दहदहा का है। ब्लॉक

सरकारी स्कूल के 35 बच्चों ने काटी अपनी कलाइयां



मुख्यालय से मात्र पांच किलोमीटर दूर राजिम रोड पर ग्राम दहदहा स्थित हैं। यहां के छठवीं, सातवीं और आठवीं में पढ़ने वाले 35 बच्चों ने अपने हाथ की कलाई को किसी नुकीली चीज से जख्मी कर लिया था। लोग उस समय अर्चीवत रह गए जब मिडिल स्कूल के बच्चों के हाथ कट मिले। जानकारी के अनुसार, यह घटना करीब एक माह पुरानी है।



मुख्यालय से मात्र पांच किलोमीटर दूर राजिम रोड पर ग्राम दहदहा स्थित हैं। यहां के छठवीं, सातवीं और आठवीं में पढ़ने वाले 35 बच्चों ने अपने हाथ की कलाई को किसी नुकीली चीज से जख्मी कर लिया था। लोग उस समय अर्चीवत रह गए जब मिडिल स्कूल के बच्चों के हाथ कट मिले। जानकारी के अनुसार, यह घटना करीब एक माह पुरानी है।

विश्व परिवार

रैंप योजना अंतर्गत केवीके भाटापारा में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फूड प्रोसेसिंग पर सेक्टर स्पेसिफिक प्रशिक्षण संपन्न

रायपुर (विश्व परिवार)। भारत सरकार की रैप योजना अंतर्गत सीएसआईआई रायपुर के बैनर तले NIMSM Hyderabad द्वारा सेक्टर स्पेसिफिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत माइनर फॉर प्रोड्यूस (Minor Fore Produce) फूड प्रोसेसिंग विषय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन 16, 17 एवं 18 फरवरी केबीके भाटापारा में किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में माइनर पॉरेस्ट प्रोड्यूस एवं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े

उद्यमियों, महिला उद्यमियों सहायता समूह की महिलाओं भागीदारी निभाई। प्रशिक्षण प्रतिभागियों को माइनर फॉरेस्ट नए उत्पाद विकास, आधुनिक तकनीक, वैल्यू एडिशन, रणनीति, ब्रांडिंग तथा आवश्यक (Certification) संबंधी जानकारीयों प्रदान की गईं। कार्यक्रम केवीके भाटपारा के वरिष्ठ वैज्ञानिकों

प्रमुख डॉ. अंगद राजपूत की
उपस्थिति एवं मार्गदर्शन प्राप्त



प्रशिक्षण के अंतिम दिवस पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बलौदाबाजार द्वारा

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उत्थान योजना
एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

(PMEGP) की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर डीआईसी

स्वयं का उद्योग स्थापित करने तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित उत्पादों को बाजार

तक पहुँचाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम ने ग्रामीण एवं महिला उद्यमिताओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध किया।उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के आगामी बैच भी 13 क्रम में आयोजित किए जायेंगे। द्वितीय बैच 19, 20 एवं 21 फरवरी, तृतीय बैच 23, 24 एवं 25 फरवरी तथा चतुर्थ बैच 26, 27 एवं 28 फरवरी को आयोजित होगा। इच्छुक प्रतिभागी अधिक जानकारी के लिए संपर्क हेतु मोबाइल नंबर 7561995551 पर संपर्क कर सकते हैं।

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmcczone10@gmail.com

पत्र क्र./28524/ न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 18-02-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 28524

वार्ड का नाम - 54 - कामरेश सुधीर मुखर्जी वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 54 स्थित भवन/प्लॉट जिसका प्रापर्टी आई.डी. **RPR652L00536** जो को निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **MAA SHARDA BUILDCON PARTNER BY MAHESH DHANGAR** पिता/पति, श्री/श्रीमती **DOMURAM DHANGAR** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **NARESH KUMAR SAHU** पिता/पति, श्री/श्रीमती **BILAS SAHU** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिलानामा, रजिस्ट्री विवेक के अनुसार/पंजीकृत विवेक मिलेख (पंजीशुक्रम) अथवा अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की कृषा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/व्यक्तियों उक्तद्वारा स्थापित परिवर्तन नहीं/निगमित समयावधि परेशत राधा दायवा आशित पत्र किसी प्रमाण को सुनवाई नहीं को मागपी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-श्रीचन्दा जारी करें-

श्री विवेकानन्द दुबे
(जोन कमिश्नर)
जोन क्र.क्रमांक- (10)

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.प.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क-10)**
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - mczone10@gmail.com

पत्र क्र./28520/न.पा.नि./जोन क./10/2026
रायपुर, दिनांक 17-02-2026

इशतिहार

नामांतरण प्र.क्र. 28520

वार्ड का नाम- 56 – तऱे अरविंद दक्षिथ वऱे ई
एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वऱड 56 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रांप्ती आई.डी. **RPR46A00251** जो की नगरिण अमिलेख शर्मा/श्रीमती **JYOTI SHARMA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **JUGAL KISHORE SHARMA** का नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **ABDUL NADEEM KHAN** पिता/पति, श्री/श्रीमती **ABDULL LATIF KHAN** ने मूल्य प्रमाण पत्र, यह पत्र, सथा पत्र, दान पत्र, दिब्बानामा, रजिस्ट्री विवरण के अनुसार/पंजीकृत विवरण विलेख / वंशक्रम/ अन्य अधिकलेख द्वारा प्राण नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वाधिम परिवर्तन में रुक या हारा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्ताव प्रकट करें। निर्धारित समयबाधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं हऱेगा।

—सूचना जारी करे—

श्री विवेकानन्द दुबे
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक- (10)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./28519/न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 18-02-2026

इश्तिहार

नामांतलपत्र प्र.क्र. 28519

वाई का नाम - 56 - ने अरविंद दीक्षित वाई
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वाई **56** निम्न भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR65A100106C** है को निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **GOVT NAZUL CHANDRAHAS SAHU** पिता/पिता, श्री/श्रीमती **LATE SUNORAM SAHU** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **HETRAM NISHAD** पिता/पिता, श्री/श्रीमती **LIMBURAM NISHAD** ने मूल प्रमाण पत्र, सही वस्त्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिल्बाना, रजिस्ट्रार के पत्रों के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख /** शानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 को धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखती है, प्रकाशना के 15 दिन के भीतर प्रत्येक क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/अभिलेख पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-

श्री विवेकानन्द दुबे
(जोन कमिश्नर)

जोन क्रमांक - (10)

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./28513/ न.पा.नि.जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 18-02-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्रक्र. 28513

वार्ड का नाम - 56 - ले अरविंद दीक्षित वाई
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 56 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR44600483V** जो की निगम अभिलेख **श्री/श्रीमती KAMLESH TALREJA S/O LATE. RAJAKUMAR TALREJA** पिता/पति, श्री/श्रीमती का नाम से रूख है, जिसको श्री/श्रीमती **GUNAMALA JAIN पिता/पति, श्री/श्रीमती AJIT KUMAR JAIN** ने वस्तु प्रमाण पत्र, दान पत्र, राशय पत्र, दान पत्र, हितवाना, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विलेख विलेख / वंशानुक्रम** अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अभिलेखन 1956 को धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्थावित परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रत्युत्तर करें। निश्चित समयावधि पर्यंत प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-

श्री विवेकानन्द दुबे
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(10)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)


**कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र. - 10)**
अमलडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./28506/ न.प.नि.जोन क्र. - 10/2026
रायपुर, दिनांक 18-02-2026

इश्तिहार्द

नामान्तरण प्र.क्र. 28506

का का नाम - 54 - कामरेश सुधीर मुखर्जी वार्ड
 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि
 आह्द 54 स्थित भवन/भूमि निस्काका प्राप्तीय
 आह्द छी. RPR652M02382 जो की
 निगम अधिलेख श्री/श्रीमती **LAXMI BAI
DHANGAR** पिता/पति, श्री/श्रीमती
RAJAKUMAR DHANGAR के नाम से
 है, जिसको श्री/श्रीमती **LILIMA
SEN** पिता/पति, श्री/श्रीमती
YASHWANT KUMAR SEN से मूल्य
 प्रमाण पत्र, सह, रायपुर घर, दान पत्र,
 हिज्जाकाम, राजस्वी लिखे के अनुसार/
 पंजीकृत रायपुर विलेख / वंशानुक्रम/
 अन्ध अधिलेख द्वारा प्राप्त नाम पालिक
 निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के
 अधिन द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई
 व्यक्तिसिद्धान्त उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन के
 हक या दावा रखते हैं, प्रमाणन के 15 दिन
 के भीतर प्रमाण क्रमांक सहित लिखित में
 अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित
 समययावधि पर्यन्त प्राप्त दावा/आपत्ति पर
 किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी।
 जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं
 होगा।

-सूचना जारी करे-

श्री विवेकानन्द दुबे
 (जोन कायस्थनर)
 निगम क्रमांक - (10)
 नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)


**कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र-10)**
अमलीडीह पाणी टंकी, रायपुर
-mail ID - rmcezone10@gmail.com

क्र.क./28505/- न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 18-02-2026

इशतिहार

प्रमाणित प्र.क्र. 28505

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आई.
4 स्थित भवन/भूमि जिसका प्राप्ति आई.डी.
PRR652M02375 जो को निगम अधिलेख
MS SHREE LAXMI
CONSTRUCTION PARTNER POA-
RAJAKUMAR DHANGAR श्रेष्ठा/पाति,
लिटो रोड DHRAN DHANGAR के
पास से दर्ज है, जिनको श्री/श्रीमती **SAKSHI**
पिता/पाति,
श्री/श्रीमती **PRAFUL KADUKAR** ने मृत्यु
पत्र सह पूर, साथ पूर, साथ पूर, दान पूर,
व्याख्याना, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/
जीऊकुन विक्रय (ब) क़ानूनक्रम/ अन्य
विधिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम
वर्धनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा
स्वीकृत किया है। यह क़ीर्त व्यक्तिसंस्था
परंपरोक्त व्याप्तियम परिधान में रुक या दान रखते
प्रमाणित कर 15 दिन के भीतर प्रकरण प्रकाशन
वाहित लिखावट में अपना दावा/प्रस्तुत करें।
प्रार्थित समयाधि परमत प्रा दावा/आगत पर
क़री प्रकार को सुनावई नहीं की जाएगी।
जसके लिए यह क़ानूनी जिम्मेदार नहीं होगा।
—स्थानीय जारी करें—

श्री विवेकानन्द दुबे
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(10)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)


**कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमलीडीह थानी टंकी, रायपुर
 -mail ID - mcmzone10@gmail.com

डा. क्र./28503 / न.पा.नि./जोन क्र. -10/2026
रायपुर, दिनांक 18-02-2026

इश्तिहार
रामांतराल प्र.क्र. 28503
 आई का नम - 54 - कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड
 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड
 4 स्थित भवन मूल जिसका प्रॉपर्टी आई.डी.
PR65202M376 जो जो निगम अधिलेख
 न/पा.नि. श्री/श्रीमती **LT. TORAN**
HANGAR के नाम से दर्ज है, जिसको
 श्री/श्रीमती **RAJAKUMAR DHANGAR**
 श्री/श्रीमती **PAWAN PRAKASH**
ONDON ने पंजी प्रमाण पत्र, सह पत्र, साथ
 व, दान पत्र, हिब्बा नमाल, रजिस्ट्री विलेख के
 न/पा.नि/ पंजीकृत विक्रय विलेख /
 शीलाक्रम/ अन्य अधिलेख द्वारा प्राप्त नग-
 र पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167
 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई
 व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्थापना परिवर्तन में हक
 दावा रखता है, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर
 दान प्रमाण पत्र लिखित में अपना
 वा.प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि परचात
 सह दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार को सुनवाई
 नहीं होगी। जिसके लिए यह कार्यालय
 जम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री विवेकानन्द दुवे
(जोन क्रमांक-10)
जोन क्रमांक- (10)
 नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

**कार्यालय नगर पालिका निगम,
रायपुर (जोन क्र.-10)**

अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर

mail ID - rmczone10@gmail.com

क/28499/न.पनि./जोन क्र.-10/2026

रायपुर, दिनांक 18-02-2026

इशतिहार

मांतंगर प्र.क्र. 28499

को कां - 49 - सूची दुर्गावती वाई

एतद् द्वारा रूचिना किन्ना जाता है कि बाई
स्विता भवन/नीम्न जिसका प्राप्ति आई.डी.
PR44680103 जो को निगम अभिलेख
श्रीमती **ZOONUBIYA ALI** पालिका/हित,
श्रीमती **MIR AKBAR ALI** के नाम से है,
जिसका पालिका/हित **TEJNATH**
NGH पालिका/हित, श्रीमतीमती **SW.**
RANGALNATH SINGHEने मृत्यु प्रमाण पत्र,
पत्र घर, श्राद्ध पत्र, दान पत्र, रिजल्लामा,
तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई
बिरादरी विलेख के अनुसार/संबंधित दावा/प्र-
माण/कृत/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर
पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 167
तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई
बिरादरी/संबंधित उपरोक्त स्वाधिवार परिवार में एक
दावा रखते हैं, प्रस्ताव के 15 दिन के भीतर
पालिका क्रमांक संकेत लिखित में अपना
आवेदन/प्रमाण करें। निर्धारित समयबाधि परमत
स दावा/आपात्र पर किसी प्रकार को सुनवाई
में नहीं जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय
स्पष्टता देती होगी।

-सूचना जारी करने-

श्री विवेकानन्दन दुबे
(जोन काँपरर)
जोनों क्रमांक-(10)

नगर पालिका निगम, रायपुर(छ.ग.)


**कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमलीडीह पाणी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./284665 / न.पा.नि./जोन क्र.-10/2022
रायपुर, दिनांक 18-10-2022

इशतिहार

नामांतरण प्र.क्र. 28465

वार्ड का नाम- 56 - ते अरविंद दिक्षित वार्ड
 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड
 56 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR4461027** द्वारा जो का नाम निम्नलिखित
 श्री/श्रीमती **DEEPAK RAGHAV** पिता/पति,
 श्री/श्रीमती **SUKHBIR SINGH RAGHAV**
 के नाम से है, जिसको श्री/श्रीमती
SURBHI AMIT SHRIVASTAVA
 पिता/पति, श्री/श्रीमती **AMIT**
SHRIVASTAVA ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र,
 श्राध्द पत्र, दान पत्र, हिज्जामाया, रजिस्ट्री लेखित
 के अनुसार/ पंजीकृत विक्रय वितेलख/
 वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राच नगर
 पालिक निगम अधिनियम 1956 को धारा 167
 के तहत द्वारा अंतरा किया है। यदि कोई
 व्यक्ति/स्थान उपरोक्त ख्याति पवित्रन में हक
 या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर
 प्रकाश क्रमिक सहित लिखित में शोध
 द्वारा/प्रस्तुत करें। निर्दिष्ट समयावधि पर्यन्त
 प्राप्त दावा/अपील पत्र फाँसित करके को सुनवाई
 नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय
 जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करे-
श्री विवेकानन्द दुबे
 (जोन कमिश्नर)
 जोन क्रमांक- (10)
 नगर पालिक, निगम, रायपुर (छ.ग.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./28439/न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 18-02-2026

इस्तिहार

नामलेंटन प्रक्र. 28439

वार्ड का नाम - 56 के अरविंद दीक्षित वार्ड
द्वारा प्रारंभ किया जाता है कि वार्ड 56 स्थित नगरपालिका (जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. RPR4468A0000) जो का निवास अभिलेख श्री/श्रीमती 1. MANISH PRABHAKAR , 2. PANKAJ PRABHAKAR , 3. ASHISH PRABHAKAR नितागत, श्री/श्रीमती LATE. SATISH CHANDRA PRABHAKAR के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती 1. VITIKA VERMA 2. ANURUDH SAXENA नितागत, श्री/श्रीमती 1. ANURUDH SAXENA 2. SATISH KUMAR SAXENA ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, रायच पत्र, दान पत्र, हिकाना, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/पंजीकृत विलेख/वंशानुक्रम और अभिलेख द्वारा प्राप्त नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 को प्राय 167 के तहत द्वारा उपरोक्त स्थानों पर किया है। यदि कोई व्यक्ति/व्यक्ति स्वस्थान स्थानों पर किसी दान या वार्ड खरीद है, प्रमाणन के 15 दिन के भीतर प्रकरण प्रक्रांत सहित लिखित में अपना दान/प्रमाण पत्र के निर्वाचित समयावधि परचात प्राप्त करना/प्राप्त पत्र किसी प्रकार को सुनवाई नहीं होगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

—सूचना जारी करें—

श्री विवेकानन्द दुबे
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(10)

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-8)**
मोहवा बाजार, रायपुर
E-mail ID : rmczone8@gmail.com

प्र.क्र. /28137/ न.पा.नि.जोन क्र.-8/2026

रायपुर, दिनांक 17-02-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 28137

बाई को नाम - 20 - समकुण्ठ परमहंस बाई
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बाई को नाम - 20 स्थित भवन/भूमि निम्नका प्रॉपर्टी आई.डी. - **RPR08200222A** जो की निगम अधिकृत श्री/श्रीमती **MINAL WASNIK** पिता/पति, श्री/श्रीमती **NITIN KASHYAP** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **SUNNY VERMA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **FULLEY RAJ** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, साथपत्र, दान पत्र, हिंजवाना, पंजीयन, विलोचन के अनुसार/पंजीयन **विरुद्ध विलेख** / वंशानुक्रम/अन्य अधिकृत द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उरोहित स्थावित परिवर्तन में कदम या दावा रखे, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्ताव करें। निर्धारित समययावधि पर्यन्त प्राप्त दावा/अर्पित प्रर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-

श्रीमती राजेश्वरी पटेल
(जोन कापियर)
जोन क्रमांक - (8)

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)


**कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क.-९)**
 (लिफ्ट बाना के पास, दुर्गे कालोनी, पोरा, रायपुर)
 E-mail ID - rmczone9@gmail.com
 पत्र क्र. / 28747 - न.पा.नि./जोन क.-९/2026
 रायपुर, दिनांक 18-02-2026
इश्तिहार
 नामांतरण प्र.क्र. 28747
 का नाम- 51 - लाल बहादुर शास्त्री बाई
 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बाई
 51 स्थित नगर/गाँव जिसका पता आर्.डी.ओ.
 PRPR328Y011212B जो को निगम अभिलेख
 श्री/श्रीमती **SUNIL KUMAR NAYAK**
 पिता/पति, श्री/श्रीमती **RAM JI PRASAD**
NAYAK के नाम से रज है, जिसको
 श्री/श्रीमती श्रीमती **खुशबू** पिता/पति,
 श्री/श्रीमती श्री **अमित गोविन्द** ने मूल्य प्रमाण
 पर, सह पत्र, रायच पत्र, दान पत्र, हिल्बानामा,
 जेजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय**
विलेख/ वसंतानुगत अनुसार अभिलेख द्वारा
 प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 को
 धारा 167 के तहत द्वारा आवंटन किया है। यदि
 कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वाभिव्य
 परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन
 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित
 लिखित में अपना दावा प्रस्तुत करें। निर्धारित
 समयवाधि पर प्राप्त दावा अज्ञात/अपचित पर किसी
 प्रकार को सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके
 लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
 -सूचना जारी करें-
 श्री अश्वेल शर्मा
 (जोन कतिपार)
 (जोन क्रमांक-९
 नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-9)**
लिखित बना के पास, दुबे कोठी, मोवा, रायपुर
E-mail ID - rmczone9@gmail.com

वत्र क्र. /28744/ न.प.नि./जोन क्र.-9/2026
दिनांक 18-02-2026

इशतिहार

नामांतरण प्र.क्र. 28744

आई का नाम - 51 - लाल बहादुर शास्त्री जीवाई
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि
51 स्थित पत्र (पत्र) जिसका प्रपंटी आई. डी.
RP444670571K जो को नाम अभिलेख
आई का नाम - 51 - KASHILYA DEVI पति/पति,
श्री/श्रीमती NAGARMAL AGRAWAL
के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती श्रीमती
नेहा अग्रवाल पति/पति, श्री/श्रीमती श्री
नागरमल अग्रवाल ने शुरु प्रमाण पत्र, सह
पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिव्याना, राजस्ती
पत्र के अनुसार/ पंजीकृत दानपत्र/
वैशुनकुमर/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राल नगर
पालिक निगम अधिनियम 1956 को धारा 167
के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई
व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त व्याम्विल परिवर्तन में
आवेदन/प्रमाण पत्र, प्रकाशन के 15 दिन के
भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना
दावा/प्रस्ताव करे। निर्धारित समयावधि पर्यन्त
प्रस्ताव दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई
यहाँ की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय
जिम्मेदार नहीं होगा।

—सूचना जारी की—
श्री अंशुल ग्राम
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-9
नगर पालिक निगम, रायपुर (उ.प्र.)


कार्यालय नगर पालिक निगम
रायपुर (जोन क्र. -8)
महानगर बाजार, रायपुर
 -mail ID - rmczone8@gmail.com
 त्र क्र. /28764/ न.पा.नि./जोन क्र.-8/2026
 रायपुर, दिनांक 18-02-2026
इश्तिहार
 प्रमाणित प्र.क्र. 28764
 न.पा.क्र. - 21 - शहीद भगत सिंह वार्ड
 एतद् द्वारा सूचित किया जाये कि वार्ड
 1 स्थित भवन/भूमि जिसका प्राप्ति आई.डी.
 PRPR813B00082 ओ.जी.निगम अधिनियम
 श्री/श्रीमती SMRITA ABHIRWAR
 द्वारा प्राप्त, श्री/श्रीमती SURESH
 SHARHAWJ के नाम से दत्त है, जिसका
 श्री/श्रीमती 1. MOHAMMAD EZHAR 2.
 MOHAMMAD SHAHANAWJ ALAM
 द्वारा प्राप्त, श्री/श्रीमती MOHAMMAD
 MANJOOR ANSARI ने मूल प्रमाण यह,
 यह घर, रायपुर घर, दान घर, हिसाबाना,
 जेजुटी रोड/कांठ के अनुसार/ पंजीकृत विक्रय
 ऑर्डर/वलेख/अन्य अधिनियम द्वारा प्राप्त
 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा
 67 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई
 व्यक्ति/स्थान उपरोक्त व्यक्ति/स्थान पर दत्त
 दावा रखे है, प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर
 अपना क़ायम कर क़ायम लिखित रूप में अपना
 दावा/प्रस्तुत करे। निगमित समयवासी स्थपत
 दावा/आपति पर किसी प्रकार की सुनवाई
 नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय
 ज़म्मेदार नहीं होगा।
 -सूचना जारी करे-
श्रीमती रायेश्वरी पटेल
(जो कर्मिश्नर)
नगर क्रमांक - 8
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

पर्यावरण नगर पालिक निगम
रंगगांव, जिला- रायपुर (छ.ग.)
Email: birgaonmcp@gmail.com,
website : www.nagarinimgambirgaon.com

निगम अधिकांशों में नामांतरण की सूचना :-
प्रमाणित प्रकरण क्र. 685 दिनांक 18.02.2026
इस का नाम- मां देवदयरी माता बाई
इस का 16 वर्ष - 2025-26

एतद द्वारा सूचना किता जाता है कि
मानुसरा भवन भूमि जो कि निगम के संपत्ति
पर मांग पंजी में बाई क्रमांक 16 नाम पंजी कर
48 ०४५३३३ 40134 अनुसार अधिभागी
ना नाम श्री/श्रीमती दुर्गा बजाज / जीवत राम
जालुज है, श्री/श्रीमती इन्द्रजीत सिंह
जालुज / धर्पद सिंह श्रीमती अधिभागी के
द्वारा रजिस्ट्री लिखत द्वारा वंशानुक्रम
क्रोडिनामा आधार पर अधिभाग कर कर नगर
निगम निगम अधिनियम 1956 की धारा 167
तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।
दि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त अधिभाग
परवेदन में हक या दावा रखते हैं, तो इस
कारण के 15 दिन के भीतर/अथवा दिनांक
०३-०३-2026 तक प्रकरण क्रमांक सहित
पर्यावरण नगर पालिक निगम बीरगांव में
प्रतिद्वारित करना-आपत्ति प्रस्तुत कर सकने की।
अतिरिक्त समयावधि पर्यंत किसी भी प्रकार के
इस दावा-आपत्ति व्यक्तिकी नहीं होने। दवा-
आपत्ति परवा नहीं होने को स्थिति में अधिभागी
द्वारा देय विधि भुगतान उपरोक्त अधिभागी के
हमें नामांतरण की कार्यवाही की जावेगी।

राजस्व अधिकारी
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला-रायपुर (छ.ग.)

राजस्थान नगर पालिक निगम
रामगांव, जिला- रायपुर (छ.ग.)
Email : birgaonmcp@gmail.com,
Website : www.nagariginbirgaon.com

निगम अधिनियम में नामांकन की सूचना :-
नांतरण प्रकरण क्र. 684 दिनांक 18.02.2026

जो का नाम - या शीतल माता यादव
आई क्र. 17 वर्ष - 2025-26

एवं द्वारा सूचित किया जाता है कि
नामतुल्य भवत/भूमि जो कि निगम के संघर्ष
माता पंजी में बर्तमान 17 गोम पंजी का
18 मार्च 1961 19683 अनुसार अधिगोम का
म श्री श्रीमती नमो कुमार अग्रवाल / पी.
अ. अग्रवाल से दर्ज है, श्री शीतली मेसेस एवं
रंजु डोक्रेक प्रा. लि. प्राप्ति दिनांक 20 / नवंबर
अग्रवाल अधिगोम के द्वारा रायपुर / लिखत
रा. वंशराजपुरा विक्रीनोमा आधार पर
अधिगोमा प्राप्त कर नगर पालिक निगम
अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत
होए आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि
होए व्यक्तित्व प्रमाण उपरोक्त अधिगोम पंजी
हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 15
दिन के भीतर/आधा दिनांक 03-05-2026
इ प्रकरण क्रमांक सहित कार्यवाही नगर
पालिक निगम बीरगांव में लिखित दाना-आपत्ति
दान कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि
तक किसी भी प्रकार की दाना-आपत्ति
प्रकार्य नहीं होगी। दाना-आपत्ति प्रकार्य
नहीं हो के स्थिति में अधिगोम के द्वारा देय राशि
उत्पन्न उपरान्त अधिगोम के पक्ष में नामांतरण
कार्यवाही की जावेगी।

राजस्थान अधिकारी
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला-रायपुर (छ.ग.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र-8)**
महबाब बाजार, रायपुर
E-mail ID - rmczone8@gmail.com

पत्र क्र./28762/ न.पा.नि./जोन क्र.-8/2026
रायपुर, दिनांक 18-12-2026

इशतिहार

नामांतरण प्र.क्र. 28762

वार्ड का नाम- 19 - ऑ. ए.पी.जे. अख्तर कलाप वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 19 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.बी. **RPR802N00858** जो को निगम अधिलेख **श्री/श्रीमती T.LAXMI** पिता/पति, श्री/श्रीमती **T. RAMA RAO** के नाम से रजि. है, जिसको श्री/श्रीमती **T. BHASKAR RAO S/O T. RAMA RAO AND M. KALYANI W/O M. PRAKASH** पिता/पति, श्री/श्रीमती ने मूल्य प्रमाण पत्र, सह पत्र, शाय पत्र, दान पत्र, दिव्यनामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/पंजीकृत हक त्याग विलेख / वंशानुक्रम/अन्य अधिलेख द्वारा प्राप नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की सारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में कूक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयवाधि पसचात् प्राप दावा/आवेदन पत्र किसी प्रकार की सुचवापत्त नही की जायेगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-

श्रीमती राजेश्वरी पटेल
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक- (8)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.प.)


 कार्यलय सभ्यदा अधिकारी,
छतीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
 सभ्यदा प्रबंधन प्रखेत्र-01, सिरपुर भवन,
 व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर
 email Id- ecoghzhbzone1@gmail.com

आम-सूचना

छतीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा
 गृहव्यवारी कोलाहनी, रायपुर में निर्मित जनता
 योजना के अंतर्गत, भवनों में भवन
 क्रमांक- जनता-48, श्री आदित्य गुप्ताबाबू
 चिंचखेड़े एवं श्री सीरभ गुलाब चिंचखेड़े
 दोनों के पतित रूप, श्री गुलाब चिंचखेड़े,
 को भाडूकन आधार पर नामांतरित किया
 गया है। आबंदी द्वारा दिनांक 10.09.1990
 को विक्रय वितलेख निष्पादित कर लिया
 गया।
 आबंदी उक्त भवन के विक्रय हेतु
 दिनांक 22.12.2005 को निष्पादित विक्रय
 इकरारनामा को छायाप्रति प्रस्तुत कर भवन
 श्री स्वीनल प्रमोद अगे पिता श्री प्रमोद
 रामदासजी अगे के नाम से विक्रय करने के
 लिए विक्रय अनुमति को मांग को हैं।
 अतः किसी भी व्यक्ति
 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था इत्यादि को
 उक्त भूखण्ड/भवन के विक्रय के संबंध में
 किसी भी प्रकार को कोई आपत्ति हो तो इस
 कार्यलय में लिखित रूप से प्रमाणित
 दस्तावेज सहित इस आमसूचना प्रकाशन के
 15 दिन के अन्दर समक्ष उपस्थित होकर
 आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा बाद में प्राप्त
 आपत्ति मास्य नहीं की जावेगी।

सभ्यदा अधिकारी,
छतीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
 सभ्यदा प्रबंधन प्रखेत्र-01
 कबीर नगर, रायपुर


कार्यालय सम्पदा अधिकारी,
छत्रीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-०१, सिसुरपुर मवन,
व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर
 email ID- ee@eechhazone1@gmail.com

आम-सूचना

छत्रीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा
 कबीर नगर कालोनी, रायपुर में निर्मित
 ए.एस.आई. जी.-११ योजना में से भवन क्र. MIG -
 ११/३३ श्री कृष्ण लाल बागड़े पति श्री फोशल
 बागड़े को आवंटित किया गया है। मूल आवंटि
 डाटा दिनांक २५-१०-०३ विक्रय विलेख
 निम्नादिित कर लिया गया है।

मूल आवंटि / नामांती की मृत्यु दिनांक
 २०-२-०४ को हो जाने के कारण श्रीमती
 जसवंता बागड़े पति श्री कृष्ण लाल बागड़े
 उक्त भवन/भूखण्ड अपने नाम पर नामांतरण
 करने हेतु आवेदन प्रत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ
 पत्र, वास्तो (१) नॉकडाटा २२. २ अतिथ
 बागड़े ३. ईश्वरकृष्ण बागड़े तैनी के पिता स्वं.
 कृष्ण लाल बागड़े (१) सहसति पत्र, एवं
 अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत
 दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन/भूखण्ड
 श्रीमती जसवंता-बागड़े पति श्री स्वं. कृष्ण
 लाल बागड़े के नाम पर नामांतरण किया जा
 ना है।

अतः किसी भी व्यक्ति
 शासकीय/अदस्त/सामान्य/वित्तीय संस्था द्वारा
 को उक्त भूखण्ड/भवन के नामांतरण के संबंध में
 किसी भी प्रकार की कोई अपील/आवेदन हो उस
 कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज
 सहित इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से १५
 दिन के अन्दर स्वीकृत। उपर्युक्त होना अप्रति
 प्रस्तुत कर सकता है।। धीमांति तिथि के बाद में
 प्राप्त आवेदन मन्त्र नहीं को जावेगा, एवं कभी
 नामांतरण आदेश जारी कर दिया जावेगा।।

सम्पदा अधिकारी,
छत्रीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-०१


कार्यालय सम्मदा अधिकारी,
छत्रीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्मदा प्रबंधन प्रदेश-०१, रिसपुर भवन,
व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर
 email ID - ecoghzhone21@gmail.com

आम – सूचना

 छत्रीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा
 कबीर नगर कालोनी रायपुर में निर्मित
 एम.आई.जी. (जी + १) भवन योजना के
 अंतर्गत भवनों में से भवन क्रमांक
 एम.आई.जी. (जी + १) - १५ फ्लैट - II
 श्री सतीश कुमार साहू प्रायतः श्री सिधाराम
 सेवक साहू को भाड़ा/प्राप्त / पूर्ण मूल्य
 आधार पर आबंटित किया गया है। आबंटी
 द्वार दिनांक को विक्रय विलेख
 निष्पादित कर उन भवन के विक्रय हेतु दिनांक
 ४-२-२६ को निष्पादित विक्रय इकरानामा
 को छायाप्रति प्रस्तुत कर भवन श्री मनोहर
 लाल पति - श्री शेरा राम के नाम से विक्रय
 करने के लिए विक्रय अनुमति की मांग की
 हैं।
 अतः किसी भी व्यक्ति
 शासकीय/अशासकीय संस्था इत्यादि को
 उक्त भूखण्ड/भवन के विक्रय के संबंध में
 किसी भी प्रकार को कोई आपत्ति हो तो इस
 कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित
 दस्तावेज सहित इस आमसूचना प्रकाशन के
 १५ दिन के अन्दर समक्ष उपस्थित होकर
 आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त
 आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।
 सम्मदा अधिकारी,
 छत्रीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
 सम्मदा प्रबंधन प्रदेश-०१
 कबीर नगर, रायपुर

 **कायपालि नगर पालिक निगम,**
रायपुर (जोन क्र. - 2)
शहीद स्मारक स्कूल भवन, फाफाडीह, रायपुर
Email ID - rmczone2@gmail.com
पत्र क्र./28667/न.प्र.पि.नि.जो.क्र.-2/2026
रायपुर दिनांक : 17-02-2026

इस्तिहार
नामांतरण प्र.क्र. 28667
वार्ड का नाम - 14 सचि मंदिर वार्ड
 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि
 14 स्थित भवन/भूमि जिसका प्राप्ती-
 आई.डी. - **APR220C00007** जो कि
 निगम - **रामजी महाराज मिशन** **MRS. PARAMJEET KAUR** पिता/पति,
 श्री/श्रीमती के नाम से दर्ज है, जिसको
 श्री/श्रीमती (1) हरचंद सिंह सलूजा, पिता-
 श्री सलूजा सिंह सलूजा पत्र क्रमांक 2
 अमरगढ़ी सिंह सलूजा 3 प्रियंका
 सलूजा, पिता - श्री हरचंद सिंह सलूजा
 पिता/पति, श्री/श्रीमती ने मूल्य प्रमाण
 पत्र, सह पत्र, शायथ पत्र, दान पत्र,
 हिव्वानामा, इस्तीफा विलेख के अनुसार/
 शायथ पत्र, बैनमामा, स्वीकृत मूल्य प्रमाण
 पत्र/ वंशानुक्रम अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त
 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की
 धारा 167 के तहत द्वारा आदेशित किया है।
 यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्थानों में
 पालिक नगर में हक या दावा रखती है, तो
 प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रकरण
 क्रमांक सहित लिखित रूप में अपना
 दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि
 पश्चात प्राप्त दावा/आज्ञापन पर किसी प्रकार
 की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए
 यह कायपालि निगमोदर नहीं होगा।

सूचना जारी की
श्री संतोष पाण्डेय
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक- (2)
 नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.प्र.)

[illegible]

विश्व परिवार

रायपुर, गुरुवार 19 फरवरी 2026

संपादकीय बीएनपी की भारी जीत से भारत के लिए सियासी निहितार्थ

कमलेश पांडे

पीयूष गोग्राल के मुताबिक ट्रेड डील में रूसी तेल का मुद्दा नहीं है। इसलिए इस पर विदेश मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए। विदेश मंत्री गोग्राल से पूछने की सलाह दे चुके हैं। प्रधानमंत्री से तो स्पष्टीकरण की अपेक्षा ही नहीं है। अमेरिका से ट्रेड डील में रूसी तेल के मुद्दे को शामिल करने से भारत को आर्थिक के साथ-साथ प्रतिष्ठा का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री इसकी जवाबदेही एक दूसरे पर टालने की जुगत में दिखे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोग्राल के मुताबिक उन्होंने जो डील की, उसमें यह मुद्दा नहीं है, इसलिए इस बारे में विदेश मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए। विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस बारे में गोग्राल से पूछने की सलाह दे चुके हैं। प्रधानमंत्री चूँकि असहज करने वाले सवालों पर कभी कुछ नहीं बोलते, इसलिए उनसे कोई स्पष्टीकरण मिलने की संभावना वैसे भी नहीं है। ये सच है कि ट्रेड डील से संबंधित साझा बयान में इस मसले का जिक्र नहीं है। लेकिन साझा बयान जारी होने के बाद ही ह्वाइट हाउस ने अलग विज्ञप्ति कर कहा कि भारत रूसी तेल की खरीदारी रोकने पर राजी हुआ है। यह भी बताया कि भारत कहीं चोरी-छिपे तेल ना खरीद ले, इसकी निगरानी अमेरिका के तीन मंत्री करेंगे। भारत सरकार के किसी मंत्री या अधिकारी ने इस अमेरिकी एलान का खंडन नहीं किया। उल्टे मंत्री इसकी जवाबदेही दूसरे पर टालते दिखे हैं। इसलिए इसे ट्रेड डील का हिस्सा मान लिया गया है और बाजार में उसका असर दिखने लगा है। पहली मार गुजरात के वाडीनगर में स्थित नायरा रिफाइनरी पर पड़ती दिखी है। रूस की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी रोसेनेफ्त को इसमें सबसे बड़ी शेयरहोल्डिंग है। इसमें अधिकतर रुस से आए कच्चे तेल का शोधन किया जाता है। लेकिन अब अमेरिका से ट्रेड डील के बाद इस रिफाइनरी का चलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो ये चर्चा शुरू हो गई है कि रोसेनेफ्त के शेयर खरीद कर कोई भारतीय कंपनी इसकी मालिक बनेगी और फिर वह अन्य स्रोतों से आए तेल का शोध करेगी। अनुमान है कि यह तेल अधिकांशतः अमेरिका से आएगा। मगर यह महंगा सौदा है। अमेरिका से तेल ऊंचे भाव में मिलेगा। परिवहन खर्च पर बड़ी कीमत चुकानी होगी। उधर अमेरिकी दबाव में आने के कारण अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को पहुँची हानि अलग है। इसीलिए इसकी जवाबदेही पर मुंह छिपाने की जरूरत पड़ी है।

आलेख

क्या शबाना महमूद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनेंगी?

डॉ. सुधीर सक्सेना

वह सुदर्शना है। सुशिक्षिता है। युवा और अनुभवी हैं। तत्पर और अत्यल्पमति हैं। संसद और बाहर वह मुखर हैं। कलुष के बेबंद दौर में उनकी छवि बेदाग और उजली है। इतनी खूबियाँ से सुसज्ज शब्दावली महमूद इन दिनों सुखियों में है। संघति वह ब्रिटेन की सेक्रेट्री फार दा नुसो यानि गृहमंत्री है। एस्पटीन फाइल्स के जेरे-बहस दौर में इस आशय की अटकलों का सब्जा दरो-दीवार और मुँहों पर उग आया कि क्या वह ब्रिटेन की प्रधानमंत्री होंगी। फिलहाल उनके और प्रधानमंत्री पद के दरम्यान एक सोपान का फासला है। यदि वह प्रधानमंत्री बनती हैं, तो वह एशियाई मूल की दूसरी और मुस्लिम समुप्रदाय की पहली महिला होंगी। गौरतलब है कि भारतीय मूल के ऋषि शर्मा इसके पूर्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं, जबकि अनुमाना पाकिस्तानी मूल की नेत्री है। लोकतंत्र के जनक ब्रिटेन में इन देशों की कुख्यात एस्पटीन फाइल्स को लेकर बावेला मचा हुआ है। कई अनजाने पद त्याग को बाध्य हुए हैं। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर भी खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। यदि दबाव अधिक बढ़ा तो मजबूर उनहें एस्पटीन पदा पड़ सकता है। इस कयास के मद्देनजर शब्दान महमूद के मुस्लिम बनने की संभावना प्रवल है। 45 वर्षीया शब्दान सत्सार्दू ब्रिटिश लेबर पार्टी की सदस्या और बैरिस्टर हैं। वह पहले पहल सन 2010 में मई के आमचुनाव में बर्मिंघम लेडीनुड से एम्पी चुनी गयी थीं। तदंतर वह चुनावों में लगातार विजयी हुईं। जीत की हैट्टिक बना चुकी शब्दान ब्रिटिश लेबर पार्टी की अग्रणी नेताओं में शुमार हैं। सन 2024-25 में सेक्रेट्री फार जस्टिस यानि न्यायमंत्री रहने के बाद गत वर्ष उन्हें ब्रिड जैसा महत्वपूर्ण महकमा सौंपा गया। 17 सितंबर, सन 1980 को बर्मिंघम में जनमी शब्दान के परिवार की जड़ें पाकअधिकृत काशमीर में मीरपुर में है। माँ जुनेदा और पिता महमूद अहमद की संतान शब्दान को दो भाई और एक बहन है। अनमें एक उनका जुड़वा भाई है। सन 1981 से 1986 तक वह परिवार के साथ सऊदी अरब तैफ में रहीं। वहाँ उनके पिता सिविल इंजीनियर थे। उसके बाद परिवार बर्मिंघम चला आया। पिता जहाँ लेबर पार्टी से जुड़े गये, वहीं माँ स्वयं की व्यवस्था-शौप का संचालन करने लगीं। 11वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वह स्माल हीथ स्कूल और किंग एडवर्ड षष्ठम कैप हिल स्कूल में पढ़ीं। अंततः उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंतर्गत लिंकन कॉलेज से कानून में उपाधि हासिल की। पूर्व पीएम ऋषि सुनक कॉलेज में उनसे एक दर्जा अग्रे थे और शब्दान जूनियर क्रॉस स्मरूम के चुनाव में उनसे उन्हें वोट देने का वायदा किया था। युवा शब्दान बर्मिंघम में पिता के राजनीतिक कार्यों में हाथ तो बंटती थीं, अलबत्ता उनकी ख्वाहिश की कि वह बैरिस्टर बनें। उनकी यह ख्वाहिश पूरी हुई। सन 2010 में जब निवर्तमान सांसद क्लेयर शार्ट ने बर्मिंघम से चुनाव लड़ने की प्रेरित्यका व्यक्त की तो शब्दान ने दावेदारी की होड़ में याई माँसक्रोटो को पीछे छोड़ दिया। इस द्वन्द्व ने इलाके में जातीय धड़वाजी को को मद्देनार दिया, वह फिलिस्तीन समर्थक और इस्रायली उत्पादों के बहिष्कार की हिमायती नेत्री के तौर पर उभरीं। लेकिन होने पर उन्होंने नेतृत्वावली अपने पूर्व पीपी खीं चली लिये, त्विका इनसे उनकी छवि जेजुजोनस (यहूदीवाद) विरोध की बना दी। वह इस्लाम में गहरी आस्था के लिये भी जानी गयीं और उन्होंने इसे कभी छुपाया नहीं। शब्दान, रोशनआरा अली और यासमिन क्रूशरी को तिकड़ी ने बोते अशक में खासी शोहरत कमाई। लेबर नेता जेरीमी कानिब्ल से मतभेदों को उन्होंने कभी छिपाया नहीं और साहसपूर्वक दार्पित संधालने की अशकशों को ठुकरा दिया। बहरहाल, सितंबर 2023 में कीर स्टार्मर ने उनहें शैडो सेक्रेट्री बनाया। सन 2024 के आम चुनाव में उनका मुकाबला निर्दलीय अखमैद याकूब से हुआ, लेकिन वह विजयी रहीं। अक्टूबर, 2024 उनके लिये नेमत लेकर आईं, जब स्टार्मर ने उन्हें न्याय सचिव और लार्ड चांसलर बनाया। इस ओहदे को संभालने वाली वह तीसरी महिला और पहली मुस्लिम थीं। शब्दान दो टूक कहती हैं कि इस्लाम उनका अपना धर्म है और अन्य इस्लाम धर्मावलंबियों की भांति उनके जीवन में आस्था महत्वपूर्ण तत्व है। यह तत्व उनका समस्त कार्यों का प्रेरक है।

विचार-पक्ष

रायपुर, गुरुवार 19 फरवरी 2026



एए भी सियासी मायने साफ हैं। बीएनपी की जीत बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता ला सकती है, लेकिन विदेश नीति में संतुलन अपनाने से चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। वहीं दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक बदलाव संभव है, जहां भारत के प्रभाव में कमी और चीन के निवेश (2.1 बिलियन) बढ़ सकता है। वैश्विक रूप से, यह क्षेत्रीय गठबंधनों को प्रभावित कर सकता है, खासकर म्यांमार शरणार्थी और आर्थिक सुधारों के संदर्भ में। यह ठीक है कि भारत और बीएनपी के बीच संबंध चुकने के प्रयास चुनाव से पहले ही शुरू हो चुके हैं, जिसमें एस जयशंकर की तारिक रहमान से बहुत मैत्रीपूर्ण चर्चा शामिल है। हालांकि हसीना के भारत में रहने से तनाव बरकरा है, फिर भी दोनों पक्ष सहयोग बढ़ाने को इच्छुक दिख रहे हैं। इसलिए संभावित सुधार के कदम उठाये जा सकते हैं। खासकर राजनयिक संपर्क बढ़ाना, क्योंकि भारत ने बीएनपी नेताओं से मुलाकातों की, जैसे प्रणय वर्मा की मीरजा पेशख़ल से, जहां बीएनपी ने भारत की सुरक्षा हितों का सम्मान करके का आश्वासन दिया। वहीं, व्यापार और चीन बहाली के दृष्टिगत यात्रा, व्यापार और वीवीजा प्रतिबंध हटाने पर फोकस किया जा सकता है, जो हसीना के बाद बाधित हो गए थे।

प्रासकर जल बंटवारा और सीमा मुद्दे हल करना यानी वीएनपी पानी बंटवारे और सीमा हत्याओं (जैसे फील्डनी घटना) पर जोर दे रही हैं। इसलिए कुछ चुनौतियाँ भी आएँगी, क्योंकि वीएनपी हसीना की प्रत्यर्पण की मांग कर रही हैं, जिसे भारत शरण दे रहा है, इससे जन-भावना भी का प्रभाव हो रही है। वहीं, जमात-ए-इस्लामी का प्रभाव और पाक-नीज झुकाव भारत की चिंता बढ़ा सकता है। फिर भी भविष्य की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। चूँकि वीएनपी समानता-आधारित पड़ोसी संबंधों का वादा कर रही हैं, जबकि भारत अल्पसंख्यक सुरक्षा और चरमपंथ विरोध की शर्त रख रहा है। इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार, व्यावहारिक आवश्यकताएँ रीसेट सुनिश्चित करेंगी, लेकिन अवैतनिकताएँ अविश्वास दूर करने में समय लगेगी। यद्यपि ताकिर रहमान, जो वीएनपी के प्रमुख नेता हैं, और भारत के प्रति संयमित और तटस्थ रुख अपनाने दिख रहे हैं, जो अतीत के तनावपूर्ण रिश्तों से अलग है। वे समानता-आधारित पड़ोसी संबंधों पर जोर देते हैं, लेकिन शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखते हैं। उनका मुख्य स्टैंडपॉइंट्स यह है कि अल्पसंख्यक सुरक्षा और स्थिरता के नज़र से वे वो अपने भाषणों में अहिंसा, कानून के राज और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा का डिजिटल कवच

सावित्री ठाकुर

भारत जबर 2047 में अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर है, तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने महिला-नेतृत्वित विकास को राष्ट्रीय प्राप्ति का केंद्र बिंदु बनाया है। महिलाओं की समावेशी आर्थिक वृद्धि में निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हुए सरकार ने ऐसा सुरक्षित, समानजनक और संवेदनशील कार्य वातावरण तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे महिलाएं आत्मविश्वास के साथ कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इसी दिशा में कार्यस्थल पर महिलाओं का उपरीपुन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते एक दशक में महिला सर्वाधिकरण को केवल एक नारा नहीं, बल्कि नीति, संरचना और प्रभावी क्रियान्वयन का विषय बनाए है। नारी शक्ति को राष्ट्र की ऊर्जा का आधार मानते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यापक संस्थागत सुधार किए गए हैं। इसी दूरदर्शी दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक उदाहरण है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया शी-बॉक्स पोल्ट, जो कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और न्याय तक सहज पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त डिजिटल मंच के रूप में उभरा है। आज भारत में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी

लगातार बढ़ रही है। महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 23.3३ से बढ़कर 2023-24 में 41.7७ हो गई। सरकारी और निजी क्षेत्रों के साथ-साथ स्टार्टअप, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और अस्पति क्षेत्रों में भी महिलाएँ बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि कार्यस्थल सुरक्षित, सम्मानजनक और भय-मुक्त हों। कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (गैंग अधिनियम) इसी उद्देश्य से बनाया गया था। मोदी सरकार ने कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डिजिटल गवर्नेंस के तहत शी-बॉम्स पोर्टल को 29 अगस्त 2024 को तकनीकी सुधारों के साथ पुनः लॉन्च किया, जिससे यह अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और पारदर्शी बन सके। यह पोर्टल देशभर में गति आंतरिक समितियों और स्थानीय समितियों से संबंधित सूचनाओं का एक केंद्रीकृत भंडार प्रदान करता है। शी-बॉम्स पोर्टल का उद्देश्य संस्कार महिलाओं को सीधे संबंधित आईसी एलसी के पास शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है। इससे शिकायत प्रक्रिया में होने वाली देरी और अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप में कमी आती है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भयंकर सरकारी या निजी, संगठित या असंगठित - हर क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए समान रूप से सुलभ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार को महिला सुरक्षा की नीति किसी एक

वर्ष तक सीमित नहीं, बल्कि समावेशी है। प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया विज़न के अनुरूप, शी-बॉक्स महिलाओं को सुरक्षित, सरल और गोपनीय तरीके से शिकायत दर्ज करने और उसकी प्रगति ट्रैक करने की सुविधा देता है। पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायत सीधे संबंधित कार्यस्थल की आंतरिक समिति या जिले की स्थानीय समिति तक पहुँचती है। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि आंतरिक समिति की अध्यक्ष के अलावा कोई अन्य व्यक्ति शिकायत का विवरण नहीं देख सकता, जिससे पीड़िता की पहचान सुरक्षित रहती है। पंश अधिनियम के तहत सरकार का दायित्व है कि वह शिकायतों से संबंधित आंकड़ों का संभरण और निगरानी करे। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी शिकायत की जाँच के लिए 90 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है, जिसका पालन सुनिश्चित करने में शी-बॉक्स पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समयबद्ध निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए मंगलायत द्वारा डैशबोर्ड अलर्ट, ईमेल और मैसेज के माध्यम से नियमित रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। यह सक्रिय प्रणाली मोदी सरकार की उत्तरदायित्व और परिणाम आधारित शासन की सोच को दर्शाती है। शी-बॉक्स की प्रभावशीलता में नोडल अधिकारियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कार्यस्थल पर नियुक्त नोडल अधिकारी, नियोजक, आंतरिक/स्थानीय समिति के शिकायतकर्ता के बीच समयव्यवस्थापित करत हैं। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि शिकायतें

माना किया, जो भारत की चिंताओं को संबोधित करता है। वहीं, समानता का जोर के मद्देनजर बराबरी के रिश्ते चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पुरानी असमानताओं (जैसे जल बंटवारा, सीमा हत्याएं) पर बात उठाई, लेकिन टकराव से बचते हैं। हाँ, भारत में शरण लेने वाली हसीना को वापस लाने की मांग, जो सबसे बड़ा विवादस्पद मुद्दा है। हालांकि हालिया संकेत यही है कि ढाका लौटने के बाद उनके संयमित भाषण को खुफिया एजेंसियाँ इंडिया-न्यूट्रल मान रही हैं, जो एजी 2001-06 के भारत-विरोधी दौर से अलग है। लिहाजा भारत के साथ सहयोग संभव, लेकिन पकिस्तान-चीन झुकाव और जमात प्रभाव चिंता का विषय है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि व्यावहारिकता से रिश्ते सुधर सकते हैं। देखा जाए तो तारिक रहमान के हालिया भाषणों में भारत का सीधा जिक्र बहुत कम या न के बराबर आया है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। वहीं उनके भाषणों की मुख्य शैली में भारत का प्रत्यक्ष उल्लेख न करना समाहित है। खासकर ढाका लौटने (25 दिसंबर 2025) के पहले भाषण में भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन अल्पसंख्यक सुरक्षा (हिंदू, बौद्ध आदि), अहिंसा और कानून के रक्षा पर जोर दिया—जो भारत की प्रमुख चिंताओं को संबोधित करता है। वहीं, बांग्लादेश फ़र्ट नारा यानी ना दिल्ली, ना रावलपिंडी, सबसे पहले बांग्लादेश कहकर तटस्थ विदेश नीति का संकेत दिया, जो पुराने भारत-विरोधी रुख से अलग है। उनके सकारात्मक संकेत साफ़ हैं। वो ये कि अंग्रेजी में अंतरराष्ट्रीय अपील की, समावेशी बांग्लादेश का खाका पेश किया, जो खुफिया एजेंसियों ने री-अश्शोरेंस सिग्नल माना। देखा जाए तो उनके ये भाषण बीएनपी की री-ब्रांडिंग का हिस्सा हैं, जहाँ 2001-06 के भारत-विरोधी दौर से दूरी दिखाई गई। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह भारत के साथ संबंध सुधारने का रणनीतिक संकेत है, हालाँकि हसीना तर्पण जैसे मुद्दे लंबित हैं।

केवल दर्ज न हों, बल्कि उन पर समयपर और नियमानुसार कार्रवाई भी हो। महिला-आजित नीतियों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो के-जिद में 10 करोड़ से अधिक महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, और लखपति दीदी जैसी पहल के माध्यम से लाखों महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। वहाँ नमो द्रोण दीदी जैसी अभिनव योजनाएँ महिलाओं को आधुनिक तकनीक, कृषि सेवाओं और उद्यमिता से जोड़ते हुए उन्हें आई और औपचारिक कार्यक्षेत्रों में प्रवेश का अवसर दे रही हैं। ऐसे में जब बीपी संचाया में महिलाएँ पहली बार संगठित और औपचारिक कार्यस्थलों का हिस्सा बन रही हैं, कि-बॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म उन्हें यह भरोसा देते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है - न केवल कानून बनाकर, बल्कि उसे ज़मीन पर प्रभावी और जवाबदेह बनाने से लागू करता। बहुभाषी समर्थन, रीयल-टाइम ट्रेकिंग और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से शी-बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा को केवल एक कानूनी प्रावधान तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे एक व्यवस्थित, भरोसेमंद और जवाबदेह संस्थागत ढांचे में परिवर्तित करता है। शी-बॉक्स वास्तव में एक दूरदर्शी विज़न का सकारात्मक प्रतिबिंब है, जहाँ नारी शक्ति को भय से मुक्त कर, सम्मान और आत्मविश्वास के साथ कार्यस्थलों में आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि महिलाएँ अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें।

तंत्र में लोक को प्रतिष्ठित कीजिए

उमेश चतुर्वेदी

एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि नोएडा में गड्डू में गिरे युवाज की जगह कोई आधुनिक शब्दवाली में कहें तो किसी भीआरपी का बेठा होता, सेलिब्रिटी होता या फिर किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तী का पात्रिण्य होता तो क्या तंत्र उसी तरह खड़ा रहता, जिस तरह खड़ा रहा और खड़ा रहने डूब जाता। हमने जिस प्रशासनिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, उसमें तंत्र की जवाबदेही लोक के प्रति है। हम चाहते जितना भी गर्व करें, लेकिन तंत्र की जवाबदेही के केंद्र में लोक की वजय अभिजात्य है। यही वजह है कि संकट के क्षणों में हमारे तंत्र को लोक के प्रति जैसी त्वरित भूमिका निभानी चाहिए, वह निभाना नहीं दिखता। लेकिन यदि इसी तंत्र को पता चले कि लोक के बीच कोई अभिजात्य पहचान, महत्वपूर्ण नेता, उद्योगपति, सेलिब्रिटी आदि भी संकटग्रस्त है, हमारे तंत्र की प्रतिक्रिया त्वरित और गहन होती है। तंत्र को सोच की यह खोट ही है कि संकटग्रस्त आम आदमी के लिए त्वरित प्रतिक्रियाएं अपवादस्वरूप ही दिखती हैं। अंतर् आंदोलन सेटि सिटी के रूप में विकसित हो रहे नोएडा में ईजीनियर युवाज की जगह लालपरवाही और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मेल



कमल तक नहीं पहुँच जाती। कमल के गड्ढे में गिरने की जानकारी एक राहगीर ने पास ही स्थित एक कैफे के सुरक्षा गार्ड को दी थी, सुरक्षा गार्ड ने जर्नलबोर्ड कर्मी योगेश को जानकारी दी, योगेश ने ठेकेदार राजेश प्रजापति को फ़ोन कर इसकी जानकारी दी। राजेश घटनास्थल पर आया, लेकिन पुलिस को किसी ने जानकारी नहीं दी। कैफ़े का गार्ड हो या फिर जर्नलबोर्ड का कर्मी या फिर ठेकेदार, उन्होंने इस घटना को सामान्य तौर पर लिया। संजीवगिरी किसी ने नहीं दिखाई। सिर्फ़ इंसपिरिए कि उनके चेतन-अचेतन में सफ़ा न कहीं यह बात बैठी हुई है कि गिरनेने वाला कोई बीआरपी थोड़े ही है कि कुछ होगा। सभी ने सोचा कि दर रात हो गई है,

चलो सो जाते हैं। नागरिक हो या कर्मचारी या फिर तंत्र का जिम्मेदार तबका, उनकी ऐसी सोच हमारी समाजिक और शासन व्यवस्था का कड़वा सच है। स्वागत है वह कि क्या हमने लोकतंत्र की जो कल्पना की थी, उसके तहत ऐसी घटनाओं और ऐसी सोच की परिणति की कल्पना की थी? उदाहरण के बाद हमने आर्थिक चमक-दमक को बढ़ाने के साथ ही शहरीकरण पर जोर दिया है। शहरीकरण ने आर्थिक लाभ-हानि की बुनियाद पर ही आगे बढ़ने वाली हमारी सोच को विकसित किया है। ग्रामीण संस्थाने बाद अपने देश को हम पूरी तरह शहरीकृत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शहर माने संस्थाना का पाठ हमने पढ़ लिया है और उसी ही हकीकत बनाने पर जुटे हुए हैं।

है। आधुनिक लोकतंत्र को अगर शहरीकृत लोकतंत्र कहें तो हेरत नहीं होनी चाहिए। शहरीकृत लोकतंत्र की अवधारणा को जनते-अनजनते हमारे मीडिया ने भी बढ़ावा दिया है। व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानने की बजाय हमने उसकी पृष्ठभूमि को अहम मान लिया है। मीडिया भी शहरों में होने वाली घटनाओं और घटनाओं को जब रिपोर्ट करता है तो वह हैरतअंगेज अजब भी दिखाने की कोशिश करता है कि शहर में ऐसा हो गया तो बाकी देश का क्या हाल होगा। लोकतंत्र में वोट चाहे शहर के वोट का हो या गांव के वोट का, उसकी कीमत एक बराबर है। लेकिन जब यही लोकतांत्रिक व्यवस्था व्यक्तियों के साथ ट्रीटमेंट करने लगती है तो वह इस बराबरी की अवधारणा को भूल जाती है और फिर शहरी नागरिक को ग्रामीण लोक की तुलना में ज्यादा तरजीह देने लगती है। ऐसा करते वक्त उसे भान नहीं रहता कि भारत का समूचा इतिहास, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, ग्रामीण व्यवस्था केंद्रित रहा है। ऐसा नहीं कि गांवों में दुश्मनियां नहीं रहीं, लेकिन गांवों के सोच की बुनियाद आधुनिक शहर केंद्रित सोच की तुलना में हमेशा ज्यादा उदार रही। यह उदरता आधुनिक दौर में भी दिखती है।



